नईदुनिया

संपादकीय

जब क्लासरूम से निकलेगा लोकतंत्र का भविष्य

लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी वोट के प्रति उदासीनता है। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में 18 से 26 साल के आयु वर्ग में 14.78 करोड़ युवा हैं, जिनमें 7.98 करोड़ पुरुष और 6.79 करोड़ महिलाएं हैं। यह वह वर्ग है जो सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय है, राय बनाने में सबसे तेज है, लेकिन बूथ तक पहुंचने में सबसे पीछे है। इसी खाई को पाटने के लिए आयोग ने जेन जी और जेन अल्फा तक पहुंचने का मेगा प्लान तैयार किया है।

योजना के तहत देश की 4123 विधानसभा सीटों में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों और कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ईएलसी 2.0 शुरू किए जाएंगे। हर विधानसभा में 10 क्लब के हिसाब से कुल 50 हजार क्लब होंगे। ये क्लब कोई औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की लाइव लैब होंगे। यहां मॉक पोल होगा, चुनावी प्रक्रिया की रिहर्सल होगी, संविधान पर बहस होगी और वोट के अधिकार पर खुली चर्चा होगी। यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में शुरू हुए ईएलसी अभियान को अब पूरी तरह डिजिटल और एक्टिव मोड में बदला जा रहा है। पहले क्लब बने, फिर कागजों में सिमट गए। अब आयोग चाहता है कि ये क्लब लगातार सक्रिय रहें, इनका डिजिटल डैशबोर्ड हो और गतिविधियों की मॉनिटरिंग सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी करें।

क्या स्कूल में लोकतंत्र पढ़ाया जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन किताब से नहीं, अनुभव से। जब एक छात्र अपने स्कूल में ही मतदान अधिकारी बनेगा, मतपेटी संभालेगा और उंगली पर स्याही लगाएगा, तो उसके मन में वोट का मूल्य बैठेगा। वह जब घर जाकर अपने माता-पिता से पूछेगा कि आपने वोट दिया क्या, तो एक क्लब पूरे परिवार को जागरूक कर देगा। जेन अल्फा वह पीढ़ी है, जो 2010 के बाद जन्मी है और मोबाइल में ही दुनिया देखती है। इनके लिए लोकतंत्र का मतलब इंस्टाग्राम रील नहीं होना चाहिए। इन्हें समझना होगा कि लाइक और वोट में फर्क है। लाइक एक सेकंड का रिएक्शन है, वोट पांच साल का भविष्य है। ईएलसी इसी फर्क को समझाने की पाठशाला बन सकते हैं।

हालांकि चुनौतियां भी बड़ी हैं। हमारे अधिकांश सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक पर कई जिम्मेदारियां हैं। क्या वह अतिरिक्त रूप से ईएलसी चला पाएगा? क्या निजी स्कूल इस अभियान में ईमानदारी से जुड़ेंगे या इसे केवल फोटो सेशन बना देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अभियान को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जा सकेगा? स्कूल को किसी भी दल का प्रचार केंद्र नहीं बनने देना होगा।

निर्वाचन आयोग ने वोटर को बूथ तक लाने के लिए कई प्रयोग किए हैं। सेलिब्रिटी को ब्रांड एंबेसडर बनाया, पोस्टर लगाए और गीत बनवाए, लेकिन सबसे स्थायी प्रयोग वही होता है, जो क्लासरूम से शुरू होता है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जेन जी और जेन अल्फा को तैयार करने की यह पहल केवल चुनाव सुधार नहीं है, यह लोकतंत्र के भविष्य में निवेश है।

इस अभियान को केवल आयोग का अभियान न समझा जाए। शिक्षा विभाग, शिक्षक, अभिभावक और छात्र सभी इसकी जिम्मेदारी लें। तभी स्कूल की यह छोटी-सी वोट की पाठशाला देश के बड़े लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगी।

भारत-जापान की नई टेक डील

एआई और सेमीकंडक्टर से बनेगी मेक इन इंडिया की नई ताकत

टोक्यो से दिल्ली तक 20 कंपनियों का बड़ा दाँव

एक अनुमान के अनुसार, यदि भारत 2032 तक 150 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करता है तो 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार का आंकड़ा इससे तीन गुना हो सकता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पहले से ही सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम चल रहा है और जापान के आने से यह रफ्तार और बढ़ सकती है।

भारत और जापान अब केवल दोस्ती के नाम पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य के नाम पर हाथ मिला रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की टोक्यो यात्रा ने इस रिश्ते को नई रफ्तार दी है। टोक्यो में जापान-भारत संसदीय मैत्री संघ के अध्यक्ष यासुतोशी निशिमुरा से मुलाकात के दौरान मेक इन इंडिया से जुड़े हाईटेक उद्योग को गुणवत्ता प्रमाणपत्र से छूट देने और जापानी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए विशेष सुविधा देने पर चर्चा हुई। जापान की करीब 20 कंपनियां भारत में निवेश को लेकर अपनी रुचि जाहिर कर चुकी हैं और सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जा रहा है। मंगलवार को एआई और सेमीकंडक्टर से जुड़ी जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक में सहमति बनी कि वर्ष 2023 में तय सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन तैयार करने के समझौते को अब तेज किया जाएगा।

2032 तक भारत का सेमीकंडक्टर कारोबार 150 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ऐसे में जापान का साथ भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जापान दुनिया में सेमीकंडक्टर मैटेरियल और मशीनरी का बड़ा सप्लायर है और भारत के पास टैलेंट और बड़ा बाजार दोनों हैं। भारत में एआई और सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े उपकरण लाने में बीआईएस सर्टिफिकेशन से छूट दिलाने के लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे। यह सुविधा जापानी कंपनियों के साथ अन्य कंपनियों के लिए भी होगी। यह छूट कंपनी या सेक्टर आधारित हो सकती है और इस संबंध में बीआईएस व मंत्रालय से विचार के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। जापानी कंपनियों को बताया गया है कि भारत में 300 से अधिक विश्वविद्यालयों में चिप डिजाइनिंग के लिए 68 हजार इंजीनियरिंग छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड कई गुना बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में जापान के साथ साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है।

इस यात्रा का एक और बड़ा पहलू एमएसएमई सेक्टर है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री के साथ आए उद्यमियों के दल का नेतृत्व समूह के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका ने किया। उन्होंने बताया कि भारत और जापान की कंपनियां दोनों देशों और कई अन्य गरीब देशों के लिए मिलकर हाईटेक सेक्टर में निर्माण करने की तैयारी में हैं। इस दिशा में संभावनाएं देखी जा रही हैं। मंत्री के दौरे में इस पर भी चर्चा हुई कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बड़ी जापानी कंपनियां भारत के एमएसएमई को प्रशिक्षित करेंगी। एआई और सेमीकंडक्टर के साथ-साथ हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान से सहयोग मिलेगा। जापानी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियों में भारतीय इंजीनियरों को ट्रेनिंग देंगी और फिर यही टैलेंट भारत में उत्पादन शुरू करेगा। इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा और जापान को सस्ता व कुशल मैनपावर मिलेगा।

सेमीकंडक्टर के साथ एआई भी इस साझेदारी का बड़ा हिस्सा है। दोनों देशों ने तय किया है कि एआई के लिए जरूरी चिप्स और मॉडल तैयार करने में साथ काम किया जाएगा। जापान के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एडवांस रिसर्च है और भारत के पास डेटा तथा युवा डेवलपर्स की बड़ी फौज है। यदि दोनों देशों की ताकत एक साथ आती है तो भारत-जापान मिलकर ऐसा एआई इकोसिस्टम बना सकते हैं, जो अमेरिका और चीन की मोनोपोली को चुनौती दे सके। गोयल ने कहा कि भारत में एआई मिशन के तहत बड़े डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग सुविधा तैयार हो रही है और इसमें जापानी निवेश का स्वागत है।

इस डील को केवल व्यापार के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यह भू-राजनीतिक रणनीति भी है। कोरोना के बाद दुनिया ने देखा कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन चीन पर कितनी निर्भर है। ताइवान और चीन के तनाव के बीच दुनिया को एक वैकल्पिक सप्लाई चेन की जरूरत है और भारत-जापान मिलकर वह विकल्प बन सकते हैं। अमेरिका पहले ही भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है और अब जापान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्वाड देशों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का गठजोड़ अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है।

टोक्यो में जिन 20 कंपनियों ने भारत में निवेश की रुचि दिखाई है, उनमें टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड जैसी बड़ी फर्में शामिल हैं, जो चिप बनाने वाली मशीनें बनाती हैं। ऐसी कंपनियों के भारत आने से निर्माण के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार होगा। एक अनुमान के अनुसार, यदि भारत 2032 तक 150 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करता है तो 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार का आंकड़ा इससे तीन गुना हो सकता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पहले से ही सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम चल रहा है और जापान के आने से यह रफ्तार और बढ़ सकती है।

हालांकि राह आसान नहीं है। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए बेहद शुद्ध पानी और 24 घंटे बिजली चाहिए। भारत में अभी भी इन दोनों की कमी है। दूसरा बड़ा मुद्दा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी आसानी से साझा नहीं करता। तीसरा मुद्दा लागत का है। भारत में उत्पादन लागत अभी भी वियतनाम और ताइवान के मुकाबले अधिक है। सरकार का कहना है कि बीआईएस सर्टिफिकेशन में छूट और अन्य सुविधाएं देकर लागत को कम किया जाएगा तथा जापान के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी सहमति बन रही है।

यदि यह साझेदारी सफल रही तो आने वाले पांच वर्षों में भारत में बने चिप्स से बनी कारें, मोबाइल और लैपटॉप दुनिया भर में जाएंगे। भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि निर्माता भी बनेगा और एआई के क्षेत्र में भी भारत-जापान का संयुक्त मॉडल वैश्विक मानक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया सपना अब मेक फॉर द वर्ल्ड में बदल रहा है और जापान के साथ यह नई डील उसी सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। टोक्यो से आया यह संदेश साफ है कि भारत अब केवल सॉफ्टवेयर का देश नहीं, बल्कि हार्डवेयर और हाईटेक का भी हब बनने की ओर बढ़ रहा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

इको फ्रेंडली गणेशा से बदल रही है भोपाल की सोच

बप्पा के साथ पर्यावरण की भी पूजा, जूट, मिट्टी और ऑर्गेनिक रंगों से बन रहीं मूर्तियां, घर-घर पहुंच रहा है हरियाली का संदेश

आगामी गणेश उत्सव को देखते हुए राजधानी भोपाल के विभिन्न स्थानों पर मूर्तिकारों की कार्यशालाओं में भगवान श्री गणेश की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। शहर में सैकड़ों मूर्तिकार अपनी कार्यशालाओं में कुछ प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो कई मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शहर के टीटी नगर, कलार, अशोका गार्डन, 11 मील, भानपुर और बैरागढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर स्थानीय मूर्तिकारों के साथ नागपुर और कोलकाता से आए मूर्तिकार भी बप्पा की प्रतिमाएं बना रहे हैं। शिवाजी कॉलोनी के मूर्तिकार संतोष प्रजापति ने बताया कि शिवाजी नगर में दर्जनभर से अधिक व्यापारियों द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। सभी व्यापारी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं और इसी सोच को घर-घर तक पहुंचा रहे हैं।

मांग ज्यादा, बन रही जूट की मूर्तियां - कोलकाता, नागपुर और स्थानीय मूर्तिकार प्रतिमाएं बना रहे हैं। बुकिंग के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। शिवाजी नगर में दर्जनभर से अधिक व्यापारियों द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदूषण से बचने के लिए मूर्तियों में रंग-रोगन के लिए ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग हो रहा है।

पहले जहां प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की मांग अधिक थी, वहीं अब लोगों में थीम आधारित मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा है। ग्राहक थीम के आधार पर मूर्ति बनवाते हैं, जिस पर मूर्तिकार कुछ बुकिंग एडवांस जमा करके थीम आधारित मूर्ति बनाने का कार्य भी करते हैं। किसी भी प्रतिमा को बनाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लकड़ी, पेरा, भूसा, शुद्ध गोबर, तेपोसिया आटा और चिकनी मिट्टी शामिल है। अलग-अलग राज्यों से मिट्टी मंगाकर ऑर्गेनिक कलर और कपड़ों से सजावट की जाती है। शास्त्रों के अनुकूल हाथ से पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जाता है। वहीं, मूर्तिकारों ने बताया कि

भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन भी इको फ्रेंडली मूर्तियों को बढ़ावा दे रहा है। कई स्थानों पर मिट्टी के गणेश वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि विसर्जन भी कृत्रिम तालाबों में करें, ताकि बड़ी झीलों और नदियों को बचाया जा सके। यदि इसी तरह हर त्यौहार पर पर्यावरण का संदेश दिया गया तो आने वाली पीढ़ी अधिक जागरूक होगी।

अब लोगों में थीम आधारित मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा है, जिसके चलते ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार थीम आधारित मूर्तियां बनवा रहे हैं।

प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से नुकसान: अन्य जिलों में भी भेजी जाती हैं मूर्तियां। शिवाजी नगर स्थित जय दुर्गा मां वैष्णो कलकत्ता मूर्ति कला केंद्र के मूर्तिकार ने बताया कि कार्यशाला में तीन से चार कारीगर काम करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां पानी में घुलती नहीं हैं और तालाब व नदी में जाकर पानी को दूषित करती हैं। इससे जलीय जीवों को नुकसान होता है और कई दिनों तक पानी में केमिकल बना रहता है। जबकि मिट्टी और जूट से बनी मूर्ति कुछ घंटों में पानी में घुल जाती है और मिट्टी बनकर पर्यावरण में मिल जाती है। इसलिए अब जागरूक नागरिक इको फ्रेंडली मूर्तियों की ही मांग कर रहे हैं।

सीजन में होता है मुनाफा: एक मूर्तिकार ने बताया कि वह 25 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहा है। 25 दिनों में 20 से 25 मूर्तियां बना लेता है, लेकिन सीजन के समय मूर्ति बनाने में अच्छा मुनाफा हो जाता है और सालभर की चिंता खत्म हो जाती है। मूर्तिकार दिनेश प्रजापति का कहना है कि वह 10 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। तीन महीने मूर्ति बनाने के लिए भोपाल आए हैं। मूर्ति बनाने की कार्यशैली दोस्तों के साथ कोलकाता के डायमंड हार्बर के मूर्तिकारों से सीखी थी। अब मूर्ति बनाने में हजार रुपये रोज मिल जाते हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी है। जब हम ग्राहक को बताते हैं कि यह मूर्ति गोबर, भूसे और जूट से बनी है और इसमें केमिकल रंग नहीं है, तो लोग खुश होते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं कि बप्पा को घर लाना है तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है।

घर-घर पहुंच रहा सकारात्मक संदेश - त्योहारों पर पर्यावरण की जागरूकता अब घर-घर पहुंच रही है। पहले लोग बड़ी और चमकदार मूर्ति की मांग करते थे, लेकिन अब छोटी और इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग बढ़ी है। लोग समझने लगे हैं कि भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि भावना में है और यदि मूर्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी तो पूजा अधूरी रहेगी। भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन भी इको फ्रेंडली मूर्तियों को बढ़ावा दे रहा है। कई स्थानों पर मिट्टी के गणेश वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि विसर्जन भी कृत्रिम तालाबों में करें, ताकि बड़ी झीलों और नदियों को बचाया जा सके। यदि इसी तरह हर त्योहार पर पर्यावरण का संदेश दिया गया तो आने वाली पीढ़ी अधिक जागरूक होगी। गणेश उत्सव, दीपावली और होली सभी त्योहारों में अब पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। जूट और मिट्टी से बनी मूर्तियां केवल एक शुरुआत हैं। आगे चलकर हर घर में यह सोच पहुंचेगी कि त्योहार मनाना है तो प्रकृति को साथ लेकर चलना है।

मूर्तिकारों की यह पहल पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन गई है। जहां एक ओर रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश भी घर-घर पहुंच रहा है। बप्पा की यह यात्रा अब केवल आस्था की नहीं, बल्कि हरियाली और जागरूकता की भी यात्रा बन गई है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

आजकल

तिब्बत में सैलाब, नेपाल में लाशें और चीन का धोखा

तिब्बत में बाढ़ आई, नेपाल में तबाही मची और चीन ने 45 मिनट तक सूचना छिपाए रखी। यह लापरवाही नहीं, सोचा-समझा धोखा है। चीन के पास तेज सैटेलाइट हैं, मौसम की हर जानकारी है, फिर भी नेपाल को समय पर खबर नहीं दी गई। पड़ोसी को कमजोर रखना और खुद को ताकतवर दिखाना चीन की नीति का हिस्सा रहा है।

चीनी समय के अनुसार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर केरुंग में बाढ़ आई, जबकि नेपाली समय के अनुसार सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर सैलाब आ चुका था। सूचना 9 बजे के बाद दी गई, यानी 45 मिनट देर से। इस दौरान रसुवा के टिमुरे में लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, घर बह गए और दुकानें उजड़ गईं। यदि चेतावनी समय पर मिलती तो नुकसान कम किया जा सकता था। यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी चीन पर बिना सूचना पानी छोड़ने के आरोप लगे थे। इस बार फिर वही सवाल खड़ा है।

समझौते कागज पर, ईमानदारी जीरो: कागज पर चीन नेपाल के साथ आपदा सूचना समझौते में बंधा है, लेकिन जमीन पर प्रभावी चेतावनी व्यवस्था नजर नहीं आती। कोई समय पर अलर्ट नहीं, कोई स्पष्ट सूचना नहीं। नेपाल की मजबूरी यह है कि उसे हर बार चीन से मिलने वाली जानकारी का इंतजार करना पड़ता है।

तथ्य यह भी है कि चीन हिमालय में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पानी पर नियंत्रण को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह जल कूटनीति का कठोर रूप है - गोली नहीं, पानी से दबाव बनाओ। यही अंतर भारत और चीन की आपदा प्रतिक्रिया में भी दिखाई देता है। भारत आपदा के समय पड़ोसी देशों की मदद के लिए आगे आता है।

45 मिनट की देरी छोटी बात नहीं है। आपदा में हर मिनट कीमती होता है। नेपाल को अब अपनी आपदा चेतावनी व्यवस्था मजबूत करनी होगी और किसी एक देश की सूचना पर निर्भरता कम करनी होगी। चीन के साथ हुए समझौतों को भी पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा।

हर केस डायरी होगी डिजिटल - ई-साक्ष्य ऐप पर होगी अपलोड

थाने से कोर्ट तक बदलेगा केस का ट्रैक

मध्यप्रदेश पुलिस अब अपराध की जांच के पुराने तरीके को छोड़कर डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है। अब किसी भी मामले की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। सीआईडी ब्रांच ने इस संबंध में भोपाल, इंदौर के पुलिस कमिश्नर, सभी जिलों और जीआरपी यूनिट के एसपी, एसटीएफ समेत अन्य इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अब पुलिस जांच का सारा काम सीसीटीएनएस और ई-साक्ष्य पोर्टल पर ऑनलाइन ही किया जाएगा। केस डायरी किसी भी एफआईआर का सबसे अहम दस्तावेज होती है और किसी मामले की सुनवाई में सहायता के लिए इसका उपयोग होता है। इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आरोपी या उसके वकील को भी कुछ विशेष मामलों को छोड़कर केस डायरी देखने का अधिकार नहीं होता।

फिलहाल यह पारंपरिक तरीका है। कई मामलों में सुनवाई के दौरान अदालत प्रॉसीक्यूटर के जरिए खुद या पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश देती है। इसके बाद पेशी पर संबंधित केस का जांच अधिकारी खुद मौजूद रहकर डायरी में लिखे तथ्यों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देता है। हालांकि केस डायरी को न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाता। कोर्ट पेशी के बाद डायरी पुलिस को वापस कर देती है और यह कोर्ट फाइल का हिस्सा नहीं बनती। अभी एमपी में प्रचलित नियम के अनुसार केस डायरी मूल रूप में ही कोर्ट में पेश की जाती है।

अब नई व्यवस्था के तहत केस डायरी ई-साक्ष्य ऐप पर अपलोड की जाएगी और कोर्ट को डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा। सिस्टम पर इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में जरूरत होने पर कोर्ट इसे ऑनलाइन देख सकेगी। इसके अलावा कई बार जज या सरकारी अधिवक्ता केस डायरी भी मांग लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएनयू ने साफ कर दिया है कि कोर्ट या महाधिवक्ता ऑफिस में किसी मामले में हार्ड डिस्क भी दी जा सकती है। अब थाना प्रभारी या जांच अधिकारी सीसीटीएनएस पोर्टल से प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह है कि डायरी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में हार्ड डिस्क में भी दिया जा सकता है। अब अनिवार्य कर दिया गया है कि केस डायरी या केस से जुड़े मामलों के जो भी प्रिंटआउट या सॉफ्ट कॉपी जारी की जाए, उस पर सीसीटीएनएस पोर्टल से प्रमाणित लिखा जाएगा और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर व सील-मोहर लगाई जाएगी। कोई अफसर मूल केस डायरी लेकर कोर्ट में पेश होता है, तो रिमांड, जमानत या सुनवाई के मामलों में जांच अधिकारी खुद मौजूद रहकर डायरी पेश करता है। जरूरत होने पर अदालत केस डायरी में लिखे तथ्यों के बारे में जांच अधिकारी से सवाल कर सकती है। हालांकि केस डायरी को न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाता। कोर्ट पेशी के बाद डायरी पुलिस को वापस कर देती है और यह कोर्ट फाइल का हिस्सा नहीं बनती।

यह बदलाव क्यों जरूरी है? अभी तक पुलिस थानों में केस डायरी हाथ से लिखी जाती थी और उसे कोर्ट तक पहुंचाने में काफी समय लगता था। कई बार डायरी गुम हो जाती थी या उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगता था। डिजिटल होने से हर एंट्री का टाइम स्टैंप होगा और उसमें बदलाव करना आसान नहीं होगा। इससे जांच में पारदर्शिता आएगी और कोर्ट को भी सही समय पर जानकारी मिलेगी। सीनियर अधिकारी किसी भी केस की प्रगति को अपने दफ्तर में बैठकर देख सकेंगे। उन्हें थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे निगरानी बेहतर होगी और लापरवाह जांच अधिकारियों पर लगाम लगेगी।

ई-साक्ष्य एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है, जिसे केंद्र सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के तहत तैयार किया है। इसमें अपराध स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाहों के बयान अपलोड किए जाते हैं। अब इसी ऐप में केस डायरी को भी जोड़ा जा रहा है। इससे एक ही जगह पर केस से जुड़ा सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। पुलिस अधिकारी मौके पर ही अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो अपलोड कर सकेंगे और वही रिकॉर्ड कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इससे फर्जी केस और झूठे सबूतों पर भी रोक लगेगी।

नई व्यवस्था से पुलिस का काम आसान होगा, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अब हर जांच अधिकारी को सीसीटीएनएस पर रोज की कार्रवाई अपडेट करनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता तो सीनियर अधिकारी को तुरंत पता चल जाएगा। वकीलों के लिए भी यह बदलाव अहम है। अभी तक उन्हें केस डायरी देखने के लिए कोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन डिजिटल व्यवस्था में कोर्ट चाहे तो उन्हें भी सीमित एक्सेस दे सकती है। हालांकि आरोपी को अभी भी केस डायरी देखने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ट्रायल के दौरान कोर्ट को पूरी डायरी ऑनलाइन मिल जाएगी।

डिजिटल व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती डेटा सुरक्षा की है। केस डायरी में कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं। यदि यह डेटा लीक हो गया तो अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए पुलिस ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ और डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था की है। हर डायरी पर जांच अधिकारी की सील और हस्ताक्षर डिजिटल रूप में होंगे। ग्रामीण थानों में इंटरनेट और कंप्यूटर की कमी है। कई थानों में अभी भी नेटवर्क की समस्या है। सरकार को इसके लिए बजट बढ़ाना होगा और पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी देनी होगी।

यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज करेगा। अभी कई मामलों में केस डायरी समय पर नहीं पहुंचने से सुनवाई टल जाती है। डिजिटल होने से कोर्ट को तुरंत डायरी मिल जाएगी और तारीख पर तारीख का सिलसिला कम होगा। मध्यप्रदेश में यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इससे पुलिस जांच में भ्रष्टाचार कम होगा और आम लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। डिजिटल केस डायरी केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)